बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

ई–मेल
फैक्स

पटना, दिनांक..

संख्या–06/फिटनेश (शमन)–04/2016/परि0.........................परिवहन वाहनों का दुरूस्ती प्रमाण पत्र नवीकृत करने के पूर्व निरीक्षण के समय बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के नियम 51(2) के तहत विहित आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रमांक–01 से 06 तक संलग्न किये जाने वाले कागजातों के अविधिमान्य रहने पर शमन किये जाने के संबंध में मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा द्वारा दिये गये सुझाव पर निर्णय लिये जाने के निमित परामर्श देने हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों की कमिटी बनाई जाती है:–

(1) संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना – अध्यक्ष
(2) जिला परिवहन पदाधिकारी , भोजपुर – सदस्य
(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली – सदस्य
(4) जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान – सदस्य
(5) श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना –सदस्य

उपर्युक्त कमिटी संबंधित मामले में नियमानुसार अपनी अनुशंसा एक पक्ष के अन्दर विभाग को उपलब्ध करायेगी।

ह0/–
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार पटना

ज्ञापांक–- 06/विविध (एम्बुलेंस)–14/2016/परि0.... 5994 पटना, दिनांक– 5/10/16

प्रतिलिपि:–सभी संबंधित पदाधिकारी को मोटर यान निरीक्षक, दरभंगा से प्राप्त पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मोटर यान निरीक्षक, दरभंगा के सुझाव पर कमिटी की अनुशंसा एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से विभाग को समर्पित किया जाय।

विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग,

बिहार, पटना

विषय :- परिवहन वाहनों का दुरूस्ती–प्रमाण–पत्र नवीकृत करने के पूर्व निरीक्षण के समय बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम 51(2) के तहत् विहित आवेदन–प्रपत्र में अकिंत क्रमांक–01 से 06 तक संलग्न किए जाने वाले कागजातों के अविधिमान्य (Invalid) रहने पर शमन किए जाने के सबंध में।

महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि परिवहन वाहनों की दुरूस्ती–प्रमाण–पत्र नवीकृत करने के पूर्व निरीक्षण के समय अबतक अद्यतन कर–प्रतीक देखने की ही परंपरा रही है। उक्त परम्परा आंशिक रूप से ही नियमानुकुल है। उपर्युक्त विषयांकित कागजातों के Invalid रहने पर निरीक्षण के समय शमन किए जाने से राजस्व की वृद्धि होगी! विगत माह दरभंगा जिला में जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई आंतरिक संसाधन की बैठक में इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाए जाने पर उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। इसी

परिपेक्ष्य में संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को मेरे द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की दृष्टि में भी इस मुद्दे को लाने का अनुरोध किया गया था। सचिव महोदय द्वारा भी मुझे सहमति प्रदान की गई थी। विगत माह से अबतक इस परिपेक्ष्य में करीब 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र) शमन के रूप में प्राप्त हो चुकी हैं। भवदीया के द्वारा सभी मोटर मान निरीक्षकों को निर्देश दिए जाने के पश्चात् अनुमानित 50,00000/– (पचास लाख रूपये मात्र) प्रति माह राजस्व–वृद्धि होगी।

अतः सादरपूर्वक अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी मोटर यान निरीक्षकों को निरीक्षण के समय Invalid कागज के विरूद्ध शमन करने का निर्देश देने की कृपा की जाए ताकि राजस्व–वृद्धि हो सके।

विश्वासभाजन

09/5/16

(सुनील प्रकाश तिवारी)
मोटर यान निरीक्षक
दरभंगा।